न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचौर

पीठासीन अधिकारी – प्रमोदकुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2024

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. केसाराम गोदपुत्र लादाराम जाति कलबी निवासी सिद्वेश्वर, तहसील सांचौर		1. संतोक पत्नि लाला, कौम कलबी, निवासी सिद्वेश्वर, तहसील सांचौर। 2. सोनीदेवी पुत्री लादाराम पत्नि मूंगाराम, कौम कलबी, निवासी–काजा का गोलिया, तहसील सांचौर 3. अमरूदेवी पुत्री लादाराम पत्नि मावजीराम, कौम कलबी, निवासी खोडा, तहसील थराद गुजरात 4. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर। 5. उपपंजियक सांचौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act

उपस्थित :–

1– प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री लाधुसिंह कीलवा।

2– अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील श्री सगताराम चौधरी।

निर्णय दिनांक 11.02.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के तहत प्रस्तुत किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 रिश्ते में पुत्र–माता तथा भाई–बहन है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 रिश्ते में पति/पिताजी लाददाजी का देहान्त हरे चुका है तथा लादाजी और संतोकदेवी ने प्रार्थी केसाराम को उसके प्राकृतिक पिता गमनाराम से मात्र दो वर्ष की उम्र मे ही सामाजिक एवं जातिगत रीति रिवाज एवं स्थानिय प्रथा तथा रूढी अनुसार एक समारोह आयोजित कर गोद में बैठाकर गुड धाने बांटकर गोदपुत्र स्वीकार किया था। परन्तु प्रार्थी के गोद माता–पिता तथा प्राकृतिक माता–पिता दोनो अनपढ होने से एवं कानूनी ज्ञान का अभाव होने से गोदनामा रजिस्टर्ड नही करवाया, परन्तु लादाजी के फौत होने के पश्चात संतोकदेवी को इस बात की जानकारी होने पर उन्होने प्रार्थी के 13 वर्ष की उम्र में ही उपपंजियक सांचौर में एक रजिस्टर्ड गोदनामा करवाया जो आज दिन तक प्रभावी है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण 01 से 03 के अलावा अन्य कोई व्यक्ति स्व0 लादाजी के प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण 01 से 03 एक ही जाति के अर्थात संख्या 01 से 03 पर समान रूप से लागु होते है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 अपने पूर्वज स्व0 लादाजी के उतराधिकारी है। अप्रार्थीगण 01 संतोक स्व0 लादाजी की धर्मपत्नि है तथा सोनीदेवी व अतरूदेवी क्रमशः अप्रार्थी 02 व 03 स्व0 लादाजी की पुत्रीयां तथा प्रार्थी केसाराम स्व0 लादाजी का गोदपुत्र है। प्रार्थी स्व0 लादा व संतोक का गोदपुत्र होने के कारण संतोक बैवा लादा को पुश्तैनी रूप से प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की चल एवं अचल सम्पतियों में हिन्दू विधि के प्रचलित कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत अपना हक–हिस्सा रखता आ रहा है। ग्राम सिद्वेश्वर में प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि नवीन खसरा संख्या 52, 53, 54 कुल रकबा 6.25 हैक्टर की आई हुई है जो पुराने खसरा संख्या 25 से नवसृजित है। जो वक्त प्रथम सेटलमेन्ट प्रार्थी के परदादा प्रभा पुत्र अखा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही तथा प्रभा के फौत होने पर उक्त आराजी प्रार्थी के दादा केवदा तथा केवदा के फौत होने पर उक्त आराजी प्रार्थी के गोद पिता लादाजी के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात लादाजी के फौत होने पर उक्त आराजी [illegible] माता संतोक के नाम दर्ज हुई। जिससे उपरोक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी हो [illegible] वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा (अर्थात प्रार्थी सहित प्रार्थी की दो बहन व प्रार्थी की माता प्रत्येक 1/4 हिस्सा) हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के कानूनी प्रावधानो के अनुसार निहित है। [illegible] स्व0 लादा के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि पर कब्जा भी प्रार्थी का है तथा प्रार्थी उपरोक्त स्व0 लादा के हिस्से पर लगातार बिना किसी [illegible] दखल के स्वतंत्रापूर्वक काबिज रहकर काश्त करता आ रहा [illegible] किसका ज्ञान अप्रार्थीगण को [illegible] है। स्व0 लादाजी के फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी प्रकार की जांच किए उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि में अकेली प्रार्थी की माता संतोक का ना दर्ज कर दिया, जो के पूर्णयता विधि कृत्य है। तथा राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 01 संतोक का ही नाम दर्ज होने से तथा वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

में प्रार्थी की माता मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थय सही नही होने का नाजायज रूप से लाभ प्राप्त करते हुए एवं प्रार्थी को उपरोक्त आराजीयान में प्रार्थी पिता से प्राप्त 1/4 हिस्से से जानबुझकर वंचित करने के कुत्चित उददेश्य से अप्रार्थी संख्या 02 ने अविधिक रूप से मिलावट कर अप्रार्थी संख्या 01 के वास्तविक हिस्से 1/4 अर्थात 1.5625 हैक्टर आराजी के स्थान पर सम्पूर्ण आराजी खसरा संख्या 52, 53, 54 कुल रकबा 6.25 हैक्टर का एक दानपत्र अप्रार्थी 02 के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजियन पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 529 में पृष्ठ 141 के क्रम संख्या 202203442102720 पर अप्रार्थी संख्या 05 के कार्यालय में दिनांक 21.06.2022 को करवा दिया। जबकि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 संतोकदेवी का मानसिक संतुलन सही होने तथा वह अपना भला बुरा समझने में एवं किसी प्रकार का निर्ण लेने में पूर्णयता सक्षम नही है। उक्त वादग्रस्त आराजी मुझ प्रार्थी की पुश्तैनी, कब्जासुदा खातेदारी भूमि है तथा मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर लगातार मेरा कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। मुझ प्रार्थी द्वारा भूमि में खाद वगैरा डालकर, समतल बनाकर उपजाउ व उपयोगी बनाया है अन्दर रहवासीय मकान बनाया है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है तथा इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 अगर मुझ प्रार्थी की कब्जासुदा पुश्तैनी खातेदारी भूमि से बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया के जोर जबरदस्ती से विधिविरूद्व ढंग से करने में सफल हो गई या वादग्रस्त भूमि का आगे से आगे बैचाव या हस्तांतरण कर दिया तो वाद की बहुलताएं बढेगी, प्रार्थी को खर्चे से जेरबार होना पडेगा तथा प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन दृव्य में किया जाना कतई मुमकिन नही होगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो आधारभूत सिद्वान्त प्रथत दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सिद्वेश्वर में प्रार्थीया की पैतृक एंव कब्जाकश्त की खातेदारी भूमि नवीन खेत खसरा संख्या 52, 53, 54 कुल रकबा 6.25 हैक्टर भूमि में इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादर फरमावे की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस से की गई। अप्रार्थी संख्या 04, 05 नोटिस तामिली के उपरान्त भी अनुपस्थित रहे। अतः उक्त अप्रार्थीगण 04, 05 के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के अवतरण संख्या 01 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी हम अप्रार्थीगण का पुत्र/भाई नही है, प्रार्थी को मुझ अप्रार्थीया सन्तोक ने या मेरे पति लादाराम ने गोद नही लिया तथा न ही प्रार्थी हमारे साथ हमारे परिवार में रहा है तथा न ही हमने प्रार्थी को गोद लेने या देने की रश्म ही हुई, न ही प्रार्थी को पाग बंधवाकर गोद लिया। न ही गुड धाने बांटकर रश्म अदा की गई तथा न ही गोद बाबत समारोह आयोजित हुआ, प्रार्थी व प्रार्थी के पिता गमना ने हमारी जमीन हड़पने की नियत से मुझ संतोक विधवा औरत को धोखे में रखकर प्रार्थी के पक्ष में गोदनामा करवाया है। जिसकी कानूनन कोई वैधानिकता नही है। प्रार्थी स्वर्गीरू लादाराम व मुझ सन्तोक का कोई विधिक वारिस नही है, प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थीया को धोखे में रखकर जमीन हड़पने की नियत से गोदनामा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाया है जिसकी वैधानिक मान्यता नही है फिर भी यदि रजिस्टर्ड गोदनामा को एक समय के लिए मान भी लिया जाता है तो भी प्रार्थी को अप्रार्थीया सन्तोक को उनकी भूमि व्ययनित करने से रोकने का विधिक अधिकार नही है। क्योकि गोदनामा अप्रार्थीगण के पिता/पति लादाराम की मृत्यु के बाद ही करवाया है अर्थात लादा की मृत्यु के समय धोखे से करवाया गोदनामा भी अस्तित्व में नही था, इस कारण प्रार्थी को हमारी संपति बाबत कोई वैधानिक अधिकार नही मिलता है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थीया सन्तोक या मेरे पति का गोदपुत्र नही है, लादा के फौत के समय अप्रार्थीगण ही वैध वारिसान थे तथा अप्रार्थीया तीनों की सहमति से अप्रार्थीया सोनीदेवी के नाम करवाई है जो सही है, मै अप्रार्थीया सन्तोक स्वस्थरचित व तन्दुरूस्त हालात में हूँ। मेरा कोई मानसिक व शारिरीक स्वास्थय खराब नही है मै स्वस्थचित हूँ। प्रार्थी केवल जमीन हड़पने की नियत से गलत तथ्य दर्शाये है मुझ अप्रार्थीया संख्या 01 सन्तोक व अप्रार्थीया अमरूदेवी ने सोच-समझकर अप्रार्थीया सोनीदेवी के पक्ष में दानपत्र करवाया है, क्योकिं सोनीदेवी ही मुझ अप्रार्थीया सन्तोक की सेवा चाकरी करती है तथा मेरी वृद्वावस्था में भी मेरी देखभाल करती है। प्रार्थी मुझ अप्रार्थीया सन्तोक की कभी सेवा-चाकरी नही की तथा हम मेरी दोनो पुत्रियों सोनीदेवी व अमरूदेवी के परिवार में विवाह प्रसंग [illegible] सामाजिक रीती-रिवाज से कोई रश्मे एक भाई की तरह अदा नही की है। वादग्रस्त आराजी मे कोई [illegible] टाईटल नहीं मिलता है क्योंकि प्रार्थी के पक्ष में वैधानिक रूप से गोदनामा होता तो गोद [illegible] को [illegible] ता की संपति व्ययनित करने कोई वैधानिक अधिकार नही रहता है। अप्रार्थीगण 01 ता 03 [illegible] पिता लादा के फौत के समय हम ती नही वैध वारिस थे तथा हम [illegible] की सहमति से ही [illegible] आराजी अप्रार्थीया सोनीदेवी के नाम करवाई जो सही है, प्रार्थी को विधवा की संपति व्ययनित करने का कोई वैधानिक अधिकार नही होने से प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज है। अप्रार्थीगण का [illegible] पर विधिवत कब्जा होने से प्रार्थी को बैदखल का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अवतरण में वर्णित सभी तथ्य गलत व निराधार है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने से तथा अप्रार्थीगण को मौके पर कब्जा काश्त होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रकरण में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 ने मात्र 02 वर्ष की उम्र में समारोह आयोजित कर गोद लिया था तथा 13 वर्ष की उम्र की में उप पंजियक सांचौर में एक रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करवाया जो आज दिन तक प्रभावी है। अप्रार्थी 01 द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा बिना विधिक प्रावधानो के अप्रार्थी 02 के पक्ष में दानपत्र कर दिया, जबकि प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से का कानूनी रूप से हकदार है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

6. प्रत्युतर में अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी व उसके पिता ने विधवा सन्तोक ने धोखे में रखकर गोदनामा करवाया है तथा विधवा संतोक की सम्पति में प्रार्थी का कोई वैधानिक हक नही बनता है। अतः वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी कोई हक–हकूक टाईटल नही मिलता है। अप्रार्थीगण 01 ता 03 के पिता/पति लादा फौत के समय हम ती नही वैध वारिस थे तथा हम तीनो की सहमति से ही वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीया सोनीदेवी के नाम करवाई जो सही है, प्रार्थी को विधवा की सम्पति व्ययनित करने का कोई वैधानिक अधिकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज फरमावे।

7. मैने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजो का अवलोकन किया गया। विवेचन निम्नानुसार है।

(1) प्रथम दृष्टया मामला– वादग्रस्त आराजी से संबंधित राजस्व रेकर्ड प्रथम व द्वितिय मिसल बन्दोबस्त, मिलान क्षेत्रफल तथा वर्तमान जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीया 01 सन्तोक की पैतृक आराजी साबित है। अप्रार्थी सन्तोक 01 द्वारा अप्रार्थी 02 सोनीदेवी को दानपत्र किया है। जिस पर अप्रार्थी 03 द्वारा कोई आपति पेश नही की गई है। अप्रार्थी 01 द्वारा प्रार्थी एवं उसके पिता गमनाराम पर गोदनामा धोखे से तैयार कर जमीन हड़पने का कथन किया है। **हिन्दू दतक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 व 13 के अनुसार प्रश्नगत सम्पति का स्वामित्व अधिकार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के आरम्भ होने पर निश्चित रूप से उसमें निहित है। विधवा द्वारा बाद में दतक ग्रहण किया गया दतक पुत्र उसकी सम्पति को परिवर्तित नही करेगा। दतक ग्रहण के पष्चात विधवा द्वारा सम्पति का अन्तरण को उसके दतक पुत्र द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी।** अतः उक्त बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है। अतः उक्त बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

(2) मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होता है। अतः उक्त बिन्दू भी प्रार्थी विरूद्व तय किया जाता है।

(3) उक्त दोनो प्रथम व द्वितिय बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व तय होने से अपूर्णीय क्षति का प्रश्न ही नही उठता है। अतः उपरोक्त बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

8. फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिल दफतर हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोदकुमार आर.ए.एस.)
कलेक्टर, सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:36:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner